न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 01/2023
3. उनवान : सरकार जरिये श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

श्री हेमन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह राजपुरोहित (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– हरिओम जोधाणा स्वीट होम, अपोजीट फुलेरा बस स्टैण्ड, नया बाजार, जोबनेर, जिला–जयपुर–303328

निवासी हेमन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, टिलावालों का बास, घेवडा, जिला–जोधपुर–342306

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री अशोक कुमार अप्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने आवेदन पत्र जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 02 (ii)/51 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.01.2023 को दोपहर 3.00 पी.एम पर मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम, अपोजिट फुलेरा बस स्टैण्ड, नया बाजार, जोबनेर, जिला–जयपुर पहुंचने पर वहां पर हेमन्त सिंह पुत्र अमर सिंह राजपुरोहित उपस्थित थे। हेमन्त सिंह को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर हेमन्त सिंह ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हेमन्त सिंह से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने मौके पर खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम, अपोजिट फुलेरा बस स्टैण्ड, नया बाजार, जोबनेर जिला–जयपुर पर विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर एक डीप फ्रीज में लगभग 20 किलोग्राम मावा (खोया) रखा हुआ था, जो कि आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु एवं मिठाईयां बनाने हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम मावा खरीदकर उसकी कीमत 300/–रुपये विक्रेता हेमन्त सिंह को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान नरेन्द्र चौधरी एवं दीपक कुमार सिंधी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे हेमन्त सिंह ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता हेमन्त सिंह को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम मावा (खोया) को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा एक किलोग्राम मावा को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक AN–2903 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN–2903 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुख्खा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/78 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एसएस/190/एक्ट/2023/258 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष दिनांक 19–04–2023 को प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/174 दिनांक 19–04–2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अभियुक्त हेमन्त सिंह द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा (खोया) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जावे।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ने वकालतनामा पेश किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्वी) जयपुर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि प्रार्थी को जो नोटिस जाँच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है, वह न्यायोचित नही है तथा गलत व मिथ्या होने के कारण प्रार्थी बाध्य नहीं है और काबिले निरस्त है क्योंकि ना तो नियमानुसार नमूना लेने की कार्यवाही हुई है एवं नियमानुसार नमूना नहीं लेने के कारण ही नमूने में कमी बताई गई है। वास्तव में नमूने में कोई कमी नहीं थी। अभियुक्त को आवेदक द्वारा कोई परिवाद पत्र नहीं दिखाया गया है। नमूना मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम, अपोजिट फुलेरा बस स्टेण्ड नया बाजार, जोबनेर, जिला–जयपुर से लिया गया है जो कि एक प्रोपराईटरशिप दुकान है जिसका प्रोपराईटर हेमन्त सिंह है। धारा–66 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत किसी प्रोपराईटरशिप दुकान को उसके प्रोपराईटर के साथ एफ.एस.एस. एक्ट के अंतर्गत किये गये अपराध के लिये अलग से अभियोजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने AIR 1967 CALCUTTA Page 150 Nathma patodi and another Accused appellants Vs ME corporation of Calcutta में निर्णित किया है कि S-17 applies to Limited companies and partnerships but not to proprietorial business Which cannot be prosecuted along with its proprietor. इस कारण से प्रोपराईटरशिप दुकान मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम, अपोजिट फुलेरा बस स्टेण्ड नया बाजार जोबनेर, जिला–जयपुर (विपक्षी नंबर–1) के खिलाफ अलग से कोई कार्यवाही नहीं चल सकती है। प्रार्थी उच्च गुणवत्ता की मिठाई व मावा के व्यापारी है जो कि उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखकर मिठाई में व मावा में उपयोग दूध व्यापारियों से खरीदते हैं तथा जिसमें दूध व मिठाई की क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखा जाता है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो डीप फ्रीज से मावा व खोया का नमूना जाँच हेतु लिया गया है वो नियमानुसार नहीं लिया गया है। मावा के नमूने में केवल मात्र जो स्टेण्डर्ड है उसमें मामूली सी कमी बताई गई है और नमूने में जो कमी बताई गई है वह नमूना नियमानुसार नहीं लेने के कारण बताई गई है वास्तव में नमूने में कोई कमी नहीं थी। परिवाद पत्र का मद संख्या–4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, कतई स्वीकार नहीं है। मौके पर जो भी कार्यवाहियाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अंकित की गई है, उनके संबंध में आवेदक द्वारा मिन जवाबदाता को कोई भी जानकारी नही दी गई थी और ना ही कुछ समझाया व बताया गया था क्योंकि मौके के दस्तावेजों में यह नहीं दर्शाया गया है कि इतनी अधिक मात्रा (20 किलोग्राम.मावा) में से नमूना वांछित मावा को किस वस्तु से एक रूप कर किस बर्तन में लेकर तुलवाया गया। जिससे सुस्पष्ट प्रकट होता है कि नमूना एक रूप कर नहीं लिया गया। इस कारण नमूना भाग रिप्रेजेनटिव नहीं बना और अब चारो नमूना भागो में एक सी वस्तु नहीं गई तो ऐसी सूरत में नमूने की जाँच रिपोर्ट मान्य नही मानी जा सकती है और नमूना सब स्टैण्डर्ड नहीं माना जा सकता है। नियम 2.41 (7) एफ.एस.एस. नियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने हेतु वस्तु को एक साफ व सूखे कन्टेनर में लेना होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना प्लास्टिक की बोतलों मे लेने से पूर्व बोतल ना तो साफ की गई, ना ही साफ व सूखी बोतल प्रार्थी को दिखाई। इस कारण से मौके पर नमूना साफ व सूखी बोतल में लेना साबित नही होता है और नमूना नियमानुसार लेना भी साबित नहीं होता है। जिस कारण नमूना सब स्टैण्डर्ड नही माना जा सकता है। खाद्य विश्लेषक के कार्य व कर्तव्य एफ.एस.एस. एक्ट एवं नियमों में वर्णित है जिनके अनुसार खाद्य विश्लेषक को धारा–46 (3) (1) एफ.एस.एस. एक्ट के तहत भेजे गये नमूने की जाँच कर रिपोर्ट चार प्रतियों में जाँच के तरीकों का उल्लेख कर जारी करनी होती है तथा नियम 2.4.2 एफ.एस.एस. नियमों तहत Form No- VIIA में जाँच रिपोर्ट जारी करनी होती है। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विशेषक के Form No- 6 में जाँच रिपोर्ट जारी की है जो Format सही नहीं है और सही Format में रिपोर्ट जारी नही किये जाने के कारण जाँच रिपोर्ट मान्य नहीं मानी जा सकती है। परिवाद स्टेट सैन्टल पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री जयपुर राजस्थान की जाँच रिपोर्ट

अतिरिक्त कलेक्टर
(द्वितीय) जयपुर

के आधार पर दायर किया गया है। उक्त लेबोरेट्री धारा 3 (P) सपठित धारा–43 एफ. एस.एस. एक्ट के तहत NABL द्वारा Accredited (प्रत्यापित) लेबोरेट्री नहीं है, ना ही मान्यता प्राप्त लेबोरेट्री और ना ही फूड ऑथोरिटी द्वारा नोटिफाईड लेबोरेट्री है जिस कारण से उनके अभाव में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक है तथा प्रश्नगत जाँच रिपोर्ट पर परिवाद चलने योग्य नहीं है और परिवाद पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। जैसा कि 2015 (2) एफ. एस.एस. पेज 56 मैसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड बनाम दी फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स में निर्मित किया गया है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफ.एस.एस. एक्ट की धारा–37 सपठित नियम 2.1.3 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था, ना ही क्वालिफाईड था। इस कारण से जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी परिवादी विधिवत रूप से नियुक्ति की योग्यता नहीं रखता था और ना ही क्वालिफाईड था तो नमूना लेने की कार्यवाही तथा उसके बाद की कार्यवाहियों एवं परिवाद पेश करने की कार्यवाही अवैध हो जाती है। अभियोजन स्वीकृति अभिहीत अधिकारी द्वारा जारी की गई है, वह एफ.एस.एस. एक्ट की धारा–36 सपठित नियम 2.1.2 एफ.एस.एस. नियम के तहत नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखता था, ना ही क्वालिफाईड था। इस कारण से जो स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की गई वह अवैध है। स्वीकृति में स्वीकृति अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि नमूने में क्या कमी पाई गई है और ना ही स्वीकृति में स्वीकृति जारी करने के कारण ही दर्शाये गये हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि उपरोक्त उज्रात पर गौर फरमाते हुए प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त परिवाद पत्र निरस्त फरमाने की कृपा करें।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनांक 25.01.2023 को दौराने निरीक्षण मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम में एक डीप फ्रीज में लगभग 20 किलोग्राम मावा (खोया) रखा हुआ था, जो कि आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु एवं मिठाईयां बनाने हेतु रखा हुआ था जिसमें गुणवत्ता में कमी का अदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलाग्राम मावा खरीदकर उसकी कीमत 300/– रुपये विक्रेता हेमन्त सिंह को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। उक्त नमूने को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त AN–2903 खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड पाया गया। चूंकि अभियुक्त हेमन्त सिंह द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा (खोया) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघन किया है। अतः अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाय।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के AIR 1967 CALCUTTA का उद्धरण देते हुए कथन किया कि धारा–66 एफ.एस.एस. एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत किसी प्रोपराईटरशिप दुकान को उसके प्रोपराईटर के साथ एफ.एस.एस. एक्ट के अंतर्गत किये गये अपराध के लिये अलग से अभियोजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो डीप फ्रीज से मावा व खोया का नमूना जाँच हेतु लिया गया है वो नियमानुसार नहीं लिया गया है एवं उनके द्वारा मौके पर नमूना प्लास्टिक की बोतलों में लेने से पूर्व बोतल को साफ भी नहीं किया गया। जिस कारण नमूना सब स्टैण्डर्ड

अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी
(तृतीय) जयपुर

नहीं माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक के Form No. 6 में जाँच रिपोर्ट जारी की है जो Format सही नहीं है तथा लेबोरेट्री धारा 3 (f) सपठित धारा 43 एफ. एस. एस. एक्ट के तहत NABL द्वारा Accredited (प्रत्यापित) लेबोरेट्री नहीं है, ना ही मान्यता प्राप्त लेबोरेट्री और ना ही फूड ऑथोरिटी द्वारा नोटिफाईड लेबोरेट्री है। अतः परिवाद पत्र निरस्त फरमाने की कृपा करें।

हमने आवेदन पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। इसके अतिरिक्त खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./190/Act/2023/258 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार The sample of **"Mawa (Khoya)"** bearing Code No. and Sr. No. **AN-2903** is **Sub-standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards of Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011.

जिससे सुस्पष्ट है कि मैसर्स हरिओम जोधाणा स्वीट होम से विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड पाया गया। अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा (खोया) का विक्रय करने हेतु अवैध कृत्य के लिये विक्रेता जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त हेमन्त सिंह द्वारा सब–स्टेण्डर्ड मावा (खोया) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त हेमन्त सिंह पर 5000/– रुपये (राशि अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार केसवा)
न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर जयपुर
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर